



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय  
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya  
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)  
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान  
कार्यकारी कुलसचिव  
Kadar Nawaz Khan  
Acting Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902  
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003 / 2019 / स.नि.अनु. / 324-03 / 2021  
दिनांक : 10.12.2021

### अधिसूचना

विद्या-परिषद की 24.11.2021 को संपन्न 38वीं बैठक की मद संख्या 10 (3) के क्रमांक 1 में लिए गए निर्णय के अनुपालन में पी-एच.डी. सबमिशन के दौरान लिखे जाने वाले परिशिष्ट (Abstract) को हिंदी में ही लिखा जाना अनिवार्य किया जाता है।

यह अधिसूचना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से निर्गत की जाती है।

कादर नवाज़  
(कुलसचिव)  
10/12/21

प्रति (ईमेल द्वारा) : समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक, कार्यालय प्रमुख, क्षेत्रीय केंद्र के अकादमिक निदेशक एवं प्रभारी

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ
4. प्रवेश प्रकोष्ठ/परीक्षा विभाग (आवश्यक कार्रवाई हेतु)
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट
6. संबंधित पत्रावली